राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयर पोर्ट, बायपास रोड, गॉधी–नगर भोपाल – 462033

दूरभाष कमांक (0755)–2583656, 2678899 फैक्स (0755)–2742006

एफ–3 / प्रशासनिक / रागांप्रौवि / 2014 / 3467 **भोपाल, दिनॉक 28 / 07 / 14**

रोजगार–सूचना

राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निम्न तालिका अनुसार रिक्त लिपकीय एवं अलिपकीय पदो हेतु पात्र उम्मीदवारो से आवेदन आंमत्रित किए जाते हैः–

क	पदनाम	आयु (वर्षो में)		रोस्टर अनुसार रिक्त पद			
		न्यू	अधि	अना.	अ.ज.ज.	अ ज.	अ.पि.व.
अ. लिपकीय पद							
01	सहायक सचिव	33	45	01	–	–	–
02	अधीक्षक	30	40	01	01	–	–
03	सहायक ग्रेड – 1	28	40	01	01	01	–
04	सहायक ग्रेड –2	25	40	04+01*	02	01	01
05	सहायक ग्रेड –3	20	35	03	02+01*	02+01*	01
06	स्टेनोटायपिस्ट	20	35	05+02*	02	02	02
07	वाहन चालक	20	35	–	01	–	–
08	भृत्य / फर्राश / पानीवाला / चौकीदार	20	35	05	06+02*	–	–
ब. अलिपकीय पद							
01	मनचित्रकार	20	35	01	–	–	–
02	डाटा एन्ट्री आपरेटर–1	20	35	02	–	–	–
03	डाटा एन्ट्री आपरेटर–2	20	35	01	01	–	–
04	वर्कशाप इन्सट्रेक्टर	20	35	01	01	–	–
05	प्रयोगशाला तकनिशियन ग्रेड–1	20	35	01	01	–	–
06	डाटा एन्ट्री आपरेटर–3	20	35	06+03*+01**	03+01*	02+01*	02+01*
07	प्रयोगशाला तकनिशियन ग्रेड–2	20	35	02+01*	01	01	01
08	कुशल सहायक	20	35	01	01	–	–
09	इलेक्ट्रिशियन	20	35	01	01	–	–
10	प्रयोगशाला परिचालक ग्रेड–2	20	35	07+03*+01**	03+01*	03+01*	02+01*

लघुरुप अ.ज., अ.ज.ज. एवं अ.पि.व. से अभिप्राय मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग, श्रेणी से है। **अना.** से अभिप्राय अनारक्षित श्रेणी * से अभिप्राय महिला एवं ** से अभिप्राय विकलांग उम्मीदवारों से है।

उपरोक्त पदों के लए निर्धारित अर्हता, अनुभव एवं वेतनमान विश्वविद्यालय के लिपकीय और अलिपकीय सेवा भरती नियम–2007 के मापदण्ड अनुरुप होगी, जो विश्वविद्यालय की बेवसाईट **www.rgpv.ac.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र उपरोक्त बेवसाईट से डाउनलोड कर सकते है।

पूर्ण रुप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त सहपत्रों एवं रु 300.00 (वापसी योग्य नही) के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **कुलसचिव, आर.जी.पी.व्ही, भोपाल** के पक्ष में भोपाल में देय हो, सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्व तकनीकी शिक्षा मण्डल), ब्लाक A/4 गौतम नगर, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की सांयं 05:00 बजे तक लिये जावेगे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर ''————————————पद के लिए आवेदन पत्र'' आवश्य अंकित किया जाना चाहिए।

<u>नोटः–</u>

- आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
- अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारो को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन एव डिमाण्ड ड्राफ्ट देना आवश्यक होगा।
- ऐसे उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत् है, उन्हे अपना आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने की स्थिति में आवदेन पत्र को अमान्य किया जा सकेगा।
- अगर आवेदक के 02 से अधिक संतान है, जिसमें एक का जन्म 26.1.2001 को या इसके पश्चात हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया है, तो वे नियुक्ति हेतु अपात्र होगे।
- केवल संक्षिप्त सूची में उपलब्ध उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आंमत्रित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
- उपरोक्त तालिका में दर्शित पदो की संख्या में बढोत्तरी या कमी अथवा किसी भी पद को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।
- प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2014 से की जावेगी। आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार एवं विश्वविद्यालय के लिपकीय और अलिपकीय सेवा भरती नियम–2007 अनुसार उपलब्ध होगी।
- अनुसूचित जाति / अनुसूजित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध होगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के पद केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये आरक्षित है एवं जाति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ रु 300.00 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट देय नही है।
- मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को म.प्र. शासन के नियमानुसार यात्रा हेतु किराया देय होगा।

कुलसचिव